पृ.क्रमांक/री–एडीएम/धारा 144/01/19/2034 ग्वालियर, दिनांकः 21/02/2019

22

प्रतिलिपि:

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल

2– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर

3– आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर

4– जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर

5– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ।

6– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश की प्रतियां सर्व संबंधित थाना प्रभारियों को अपने स्तर से वितरित कराते हुए प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

7– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर

8– अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविघालय ग्वालियर

9– संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर

10– रजिस्ट्रार, जीवाजी विश्वविघालय/अमेठी विश्वविघालय/आईटीएम विश्वविघालय/एग्रीक्लचर विश्वविघलय/एलएनआईपी/संगीत विश्वविघालय

की ओर सूचनार्थ एवं सभी विश्वविघालयों एवं महाविघालयों/हास्टल संचालकों आदि को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

11– अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी ग्वालियर शहरी/ ग्रामीण/घाटीगांव/ लश्कर/ झांसी रोड/ मुरार/डबरा/भितरवार

12– नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर/झासी रोड/लश्कर/मुरार

13– एसडीओपी डबरा/भितरवार

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14– अपर संचालक, जनसम्पर्क ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश का जन सामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रसारण/प्रकाशन कराया जावे।

21/02/19

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

यदि मान्य हो तो श्री [illegible] जी के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सर्व [illegible] के सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रसारित करा दें।

22

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक:क्यू/रीडर–एडीएम/धारा–144/91/19 ग्वालियर, दिनांक: 21 फर...

।। आ दे श ।।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन क्रमांक: जिविशा/ग्वा/एम–750/16 दिनांक 20.6.16 जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया था कि जिला ग्वालियर में बहुतायत में विघार्थी, मजदूर अन्य कारणों से अनेकों स्थानों से आकर किराये से मकान लेकर निवास करने लगते हैं, ऐसे में उन व्यक्तियों के बारे में यह पता नहीं चल पाता है कि उनकी क्या स्थिति है, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन आज की आवश्यकता बन गयी है। अतः इस बाबत प्रत्येक मकान मालिक जिनके यहां कोई भी किरायेदार अथवा घरेलू नोकर किराये से रहता है या उनके घर में घरेलू कार्य करता है, की सूचना संबंधित थाने को आवश्यक रूप से दें । यह भी प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त विषय को कानूनी अमलीजामा पहनाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा कयोंकि यह विषय सर्वसाधारण /आमजन से संबंधित है और सभी सूचना देकर उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यालयीन आदेश क्रमांक: क्यू/रीडर–एडीएम/धारा 144/04/16 दिनांक 19/6/16 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

2/ इसी क्रम में जीवाजी विश्वविघलय में अध्ययनरत छात्र जो ग्वालियर जिले का निवासी नहीं है, के द्वारा दिनांक 14/2/18 को आतंकवादियों द्वारा पुलवामा ब्लास्ट की घटना पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिससे प्रतीत होता है कि इस कार्यालय से जारी आदेश दिरनांक 19/6/16 के तहत ग्वालियर जिले में अध्ययनरत एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना समय–समय पर संबंधित थाने में नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश हित के ऐसे संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दे पर आपत्तिजन पोस्ट से आम जन की भावना उद्देलित होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

3/ अतः मैं भरत यादव कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर सामान्य जन जीवन की सुरक्षा एवं जिले में लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जनहित में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेशित करता हूं कि :–

1– ग्वालियर जिले की परिधि में प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किराएदार की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में देने के लिए बाध्य होगा।

2– होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों अथवा अस्थायी या स्थायी रूप से निवासरत सभी व्यक्तियों/नौकरों/स्टाफ आदि की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ तत्काल संबंधित थाने में दिये जाना अनिवार्य होगा।

3– दुकानों एवं घरेलू नौकर रखने वाले व्यक्तियों को भी नौकर रखने की जानकारी 10 दिवस में पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4– ग्वालियर जिला स्थित सभी विश्वविघालय एवं उनके अधीनस्थ महाविघालयों में अध्ययनरत बाहरी छात्रों की जानकारी उनके फोटो एवं स्थायी पते सहित संबंधित थाने को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5– ग्वालियर जिला स्थित सभी सरकारी/अर्द्ध शासकीय एवं प्रायवेट रूप से संचालित प्रायवेट होस्टल संचालकों को उनमें रहने वाले छात्रों की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4/ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को आदेशित किया जाता है कि वह ग्वालियर जिला स्थित सभी होटल, धर्मशालाओं, लॉज, होस्टल में रहने वाले एवं कार्यरत सभी स्टाफ की जानकारी थाना स्तर पर संकलित कराना सुनिश्चित करें तथा दुकानों एवं घरों में कार्यरत स्टाफ/नौकरों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हुए उसका प्रचार–प्रसार तथा जानकारी संकलित किये जाने हेतु थाना स्तर एवं वीट स्तर पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए जानकारी एकत्रित करावें तथा किसी भी संदेह की स्थिति में जांच कराकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। अतः एकपक्षीय आदेश पारित किया जारहा है। उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

Jiwaji University
Gwalior
Inward No. 435(I)
Date 23/02/19

21/02/19
(भरत यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्यू/रीडर–एडीएम/धारा–144/01/19 ग्वालियर, दिनांकः 21/ फरवरी 2019

।। आ दे श ।।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन क्रमांकः जिविशा/ग्वा/एम–750/16 दिनांक 20.6.16 जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया था कि जिला ग्वालियर में बहुतायत में विघार्थी, मजदूर अन्य कारणों से अनेकों स्थानों से आकर किराये से मकान लेकर निवास करने लगते हैं, ऐसे में उन व्यक्तियों के बारे में यह पता नहीं चल पाता है कि उनकी क्या स्थिति है, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन आज की आवश्यकता बन गयी है। अतः इस बाबत प्रत्येक मकान मालिक जिनके यहां कोई भी किरायेदार अथवा घरेलू नोकर किराये से रहता है या उनके घर में घरेलू कार्य करता है, की सूचना संबंधित थाने को आवश्यक रूप से दें । यह भी प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त विषय को कानूनी अमलीजामा पहनाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा क्योंकि यह विषय सर्वसाधारण /आमजन से संबंधित है और सभी सूचना देकर उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यालयीन आदेश क्रमांकः क्यू/रीडर–एडीएम/धारा 144/04/16 दिनांक 19/6/16 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

2/ इसी क्रम में जीवाजी विश्वविघलय में अध्ययनरत छात्र जो ग्वालियर जिले का निवासी नहीं है, के द्वारा दिनांक 14/2/18 को आतंकवादियों द्वारा पुलवामा ब्लास्ट की घटना पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिससे प्रतीत होता है कि इस कार्यालय से जारी आदेश दिरनांक 19/6/16 के तहत ग्वालियर जिले में अध्ययनरत एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना समय–समय पर संबंधित थाने में नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश हित के ऐसे संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दे पर आपत्तिजन पोस्ट से आम जन की भावना उद्देलित होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

3/ अतः मैं भरत यादव कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर सामान्य जन जीवन की सुरक्षा एवं जिले में लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेशित करता हूं कि :–

1– ग्वालियर जिले की परिधि में प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किराएदार की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में देने के लिए बाध्य होगा।

2– होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों अथवा अस्थायी या स्थायी रूप से निवासरत सभी व्यक्तियों/नौकरों/स्टाफ आदि की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ तत्काल संबंधित थाने में दिये जाना अनिवार्य होगा।

3– दुकानों एवं धरेलू नौकर रखने वाले व्यक्तियों को भी नौकर रखने की जानकारी 10 दिवस में पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4– ग्वालियर जिला स्थित सभी विश्वविघालय एवं उनके अधीनस्थ महाविघालयों में अध्ययनरत बाहरी छात्रों की जानकारी उनके फोटो एवं स्थायी पते सहित संबंधित थाने को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5– ग्वालियर जिला स्थित सभी सरकारी/अर्द्ध शासकीय एवं प्रायवेट रूप से संचालित प्रायवेट होस्टल संचालकों को उनमें रहने वाले छात्रों की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4/ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को आदेशित किया जाता है कि वह ग्वालियर जिला स्थित सभी होटल, धर्मशालाओं, लॉज, होस्टल में रहने वाले एवं कार्यरत सभी स्टाफ की जानकारी थाना स्तर पर संकलित कराना सुनिश्चित करें तथा दुकानों एवं घरों में कार्यरत स्टाफ/नौकरों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हुए उसका प्रचार–प्रसार तथा जानकारी संकलित किये जाने हेतु थाना स्तर एवं बीट स्तर पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए जानकारी एकत्रित करावें तथा किसी भी संदेह की स्थिति में जांच कराकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। अतः एकपक्षीय आदेश पारित किया जारहा है। उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा

21/02/19
(भरत यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

Jiwaji University
Gwalior
Inward No. 435 (II)
Date 23/02/19

पृ.क्रमांक/री–एडीएम/धारा 144/01/19/2034 ग्वालियर, दिनांक: 21/02/22

प्रतिलिपि:

1— प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2— रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3— आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4— जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर
5— पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ।

6— पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश की प्रतियां सर्व संबंधित थाना प्रभारियों को अपने स्तर से वितरित कराते हुए प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7— अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर
8— अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविघालय ग्वालियर
9— संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर
10— रजिस्ट्रार, जीवाजी विश्वविघालय/अमेठी विश्वविघालय/आईटीएम विश्वविघालय/एग्रीक्लचर विश्वविघलय/एलएनआईपी/संगीत विश्वविघालय

की ओर सूचनार्थ एवं सभी विश्वविघालयों एवं महाविघालयों/हास्टल संचालकों आदि को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

11— अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी ग्वालियर शहरी/ ग्रामीण/घाटीगांव/ लश्कर/ झांसी रोड/ मुरार/डबरा/भितरवार
12— नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर/झासी रोड/लश्कर/मुरार
13— एसडीओपी डबरा/भितरवार

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14— अपर संचालक, जनसम्पर्क ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश का जन सामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रसारण/प्रकाशन कराया जावे।

21/02/19

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म0प्र0)

पृ.क्रमांक/री–एडीएम/धारा 144/01/19/2034 ग्वालियर, दिनांकः 21/02/2019 22

प्रतिलिपिः

1– प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2– रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर
3– आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
4– जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर
5– पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर रेंज ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ।

6– पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश की प्रतियां सर्व संबंधित थाना प्रभारियों को अपने स्तर से वितरित कराते हुए प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
7– अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ग्वालियर
8– अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविघालय ग्वालियर
9– संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक जयारोग्य चिकित्सालय समूह ग्वालियर
10– रजिस्ट्रार, जीवाजी विश्वविघालय/अमेठी विश्वविघालय/आईटीएम विश्वविघालय/एग्रीक्लचर विश्वविघलय/एलएनआईपी/संगीत विश्वविघालय

की ओर सूचनार्थ एवं सभी विश्वविघालयों एवं महाविघालयों/हास्टल संचालकों आदि को अपने स्तर से आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

11– अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी ग्वालियर शहरी/ ग्रामीण/घाटीगांव/ लश्कर/ झांसी रोड/ मुरार/डबरा/भितरवार
12– नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर/झासी रोड/लश्कर/मुरार
13– एसडीओपी डबरा/भितरवार

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14– अपर संचालक, जनसम्पर्क ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि उक्तादेश का जन सामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमुखता से निःशुल्क प्रसारण/प्रकाशन कराया जावे।

21/02/19

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक:क्यू/रीडर-एडीएम/धारा-144/01/19 ग्वालियर, दिनांक: 21 फरवरी 2019

।। आ दे श ।।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन क्रमांक: जिविशा/ग्वा/एम-750/16 दिनांक 20.6.16 जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया था कि जिला ग्वालियर में बहुतायत में विधार्थी, मजदूर अन्य कारणों से अनेकों स्थानों से आकर किराये से मकान लेकर निवास करने लगते हैं, ऐसे में उन व्यक्तियों के बारे में यह पता नहीं चल पाता है कि उनकी क्या स्थिति है, ऐसे व्यक्तियों का चरित्र सत्यापन आज की आवश्यकता बन गयी है। अतः इस बाबत प्रत्येक मकान मालिक जिनके यहां कोई भी किरायेदार अथवा घरेलू नोकर किराये से रहता है या उनके घर में घरेलू कार्य करता है, की सूचना संबंधित थाने को आवश्यक रूप से दें । यह भी प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त विषय को कानूनी अमलीजामा पहनाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना न्यायोचित होगा क्योंकि यह विषय सर्वसाधारण /आमजन से संबंधित है और सभी सूचना देकर उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। अतः पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कार्यालयीन आदेश क्रमांक: क्यू/रीडर-एडीएम/धारा 144/04/16 दिनांक 19/6/16 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

2/ इसी क्रम में जीवाजी विश्वविघलय में अध्ययनरत छात्र जो ग्वालियर जिले का निवासी नहीं है, के द्वारा दिनांक 14/2/18 को आतंकवादियों द्वारा पुलवामा ब्लास्ट की घटना पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिससे प्रतीत होता है कि इस कार्यालय से जारी आदेश दिरनांक 19/6/16 के तहत ग्वालियर जिले में अध्ययनरत एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना समय-समय पर संबंधित थाने में नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर देश हित के ऐसे संवेदनशील एवं गंभीर मुद्दे पर आपत्तिजन पोस्ट से आम जन की भावना उद्देलित होने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता ।

3/ अतः मैं भरत यादव कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर सामान्य जन जीवन की सुरक्षा एवं जिले में लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जनहित में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत आदेशित करता हूं कि :-

1- ग्वालियर जिले की परिधि में प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किराएदार की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में देने के लिए बाध्य होगा।

2- होटल, धर्मशाला, लॉज में रूकने वाले यात्रियों अथवा अस्थायी या स्थायी रूप से निवासरत सभी व्यक्तियों/नौकरों/स्टाफ आदि की सूचना पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके आई.डी. प्रूफ की छायाप्रति के साथ तत्काल संबंधित थाने में दिये जाना अनिवार्य होगा।

3- दुकानों एवं धरेलू नौकर रखने वाले व्यक्तियों को भी नौकर रखने की जानकारी 10 दिवस में पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4- ग्वालियर जिला स्थित सभी विश्वविघालय एवं उनके अधीनस्थ महाविघालयों में अध्ययनरत बाहरी छात्रों की जानकारी उनके फोटो एवं स्थायी पते सहित संबंधित थाने को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5- ग्वालियर जिला स्थित सभी सरकारी/अर्द्ध शासकीय एवं प्रायवेट रूप से संचालित प्रायवेट होस्टल संचालकों को उनमें रहने वाले छात्रों की जानकारी मय आई कार्ड की छायाप्रति के पुलिस द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 10 दिवस में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा।

4/ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को आदेशित किया जाता है कि वह ग्वालियर जिला स्थित सभी होटल, धर्मशालाओं, लॉज, होस्टल में रहने वाले एवं कार्यरत सभी स्टाफ की जानकारी थाना स्तर पर संकलित कराना सुनिश्चित करें तथा दुकानों एवं घरों में कार्यरत स्टाफ/नौकरों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हुए उसका प्रचार-प्रसार तथा जानकारी संकलित किये जाने हेतु थाना स्तर एवं वीट स्तर पर तैनात पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए जानकारी एकत्रित करावें तथा किसी भी संदेह की स्थिति में जांच कराकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्तादेश तत्काल प्रभावशील होगा। उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। अतः एकपक्षीय आदेश पारित किया जारहा है। उक्तादेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

21/02/19

(भरत यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर (म0प्र0)

Jiwaji University
Gwalior
Inward No. 435 (III)
Date 23/02/19